न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आड़ेल)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 39/2021

प्रार्थीगण :–

1. वीरदान वल्द तगदान वगैरा (5)
   कौम चारण निवासी मोटी ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. बगाराम पुत्र भभुताराम वगैरा (6)
7. शाखा प्रबन्धक एसबीआई एडीबी शाखा गुड़ामालानी
8. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा राणाप्रताप बाजार गुड़ामालानी
9. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 27.11.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाबजूद अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 केम्प **डावड** पेश हुई। हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा मजमेआम जानकारी ली गई। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2074–2077 सरहद मौजा मोटी ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1529/1228 रकबा 26–19 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है **दौनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में** विवादित खसरा सरहद मौजा मोटी ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1529/1228 रकबा 26–19 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना एक प्रति ... प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने ... पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.14 10:31:09 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 27/11/21 को प्रशासन गांवों के संग केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय **डाबड़** में मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आड़ेल)

कमांकः वाद/2021/876

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक : 5/12/21

विप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 39/21

निर्णय दिनांक :– 27/11/21

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम .... के खेत खसरा नम्बर 1529/1228 रकबा 86-19 ..... खसरा नम्बर.......... रकबा.......... खसरा नम्बर.......... रकबा.......... खसरा नम्बर.......... रकबा.......... एवं खसरा नम्बर.......... रकबा.......... की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को कमी नर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये 800/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल

कमांकः वाद/2021/877-78

दिनांक : 5/12/21

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी गुड़ामालानी
3. हल्का पटवारी.......... को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी ....
5. विप्रार्थी ....

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.14 10:31:09 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोदकुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल